

आवेदन प्रपत्र C-1 (मोटर वाहन दुर्घटना में मृतक के मामले में)  
अंतरिम मुआवजा स्वीकृति हेतु अनुमंडल पदाधिकारी को  
समर्पित आवेदन (हिट एंड रन को छोड़कर )  
(एक ही परिवार के एक से अधिक मृतक की स्थिति में अलग-अलग आवेदन भरा जाएगा)

सेवा में  
अनुमंडल पदाधिकारी,  
.....



(आवेदक का फोटो)

आवेदक द्वारा भरा जाने वाला भाग:

1. (A) मृतक का विवरण:

- (ii) वाहन दुर्घटना में मृत व्यक्ति का नाम.....  
पिता- पति का नाम.....लिंग.....  
उम्र..... ग्राम/ मोहल्ला.....  
थाना..... प्रखंड/ नगर निकाय.....  
पंचायत /शहरी वार्ड संख्या..... जिला..... पिन कोड.....  
(ii) पहचान आधार संख्या..... अन्य पहचान पत्र.....

(B) दावेदार/ आवेदक का विवरण:

- (i) दावेदार /आवेदक की संख्या:- .....  
(एक से अधिक दावेदार होने पर सभी का विवरण दें)  
(ii) दावेदार आवेदक का नाम.....  
पिता- पति का नाम.....लिंग.....  
उम्र..... ग्राम/ मोहल्ला.....  
थाना..... प्रखंड/ नगर निकाय.....  
पंचायत /शहरी वार्ड संख्या..... जिला..... पिन कोड.....  
मोबाइल संख्या..... ईमेल आईडी.....  
मृतक से दावेदार का संबंध.....  
(ii) क्या दावेदार मृतक के आश्रित/ उत्तराधिकारी हैं?.....

2. पोस्टमार्टम का विवरण:

(छाया प्रति संलग्न करें)

- (क) जारी करने वाले पदाधिकारी का नाम.....  
(ख) पदनाम.....  
(ग) जिला.....  
(घ) रिपोर्ट का निर्गत संख्या...../दिनांक .....

3. दुर्घटना संबंधी विवरण:

- (i) वाहन दुर्घटना की तिथि ..... समय .....
- (ii) दुर्घटना स्थल विवरण: ग्राम/मोहल्ला.....  
थाना..... प्रखंड/ नगर निकाय.....  
पंचायत /शहरी वार्ड संख्या.....घटनास्थल का विवरण (लैंड मार्क के साथ).....  
जिला..... पिन कोड.....
- (iii) अस्पताल चिकित्सक का नाम जहां इलाज के लिए दाखिल किया गया था.....  
.....  
पता.....

4. दुर्घटना से संबंधित वाहन का विवरण:

(A) वाहन का विवरण जिससे दुर्घटना हुई:-

- (i) वाहन का निबंधन संख्या जिससे दुर्घटना हुई है.....
- (ii) वाहन स्वामी का नाम.....
- (iii) चालक का नाम.....
- (iv) बीमा कंपनी का नाम (यदि वाहन बीमित हो)

(B) मृत व्यक्ति के वाहन का विवरण:- यदि मृत व्यक्ति अपने वाहन पर सवार हो, दुर्घटना के समय वे स्वयं वाहन चला रहे थे/ वाहन पर सवार थे/ पैदल थे/ नॉनमोटराइज्ड वाहन चला रहे थे)

- (i) वाहन का निबंधन संख्या जिससे दुर्घटना हुई है.....
- (ii) वाहन स्वामी का नाम .....
- (iii) चालक का नाम .....
- (iv) बीमा कंपनी का नाम (यदि वाहन बीमित हो).....

5. बैंक खाता का विवरण जिसमें अंतरिम मुआवजे की राशि पाना चाहते हैं:

- (i) आवेदक /दावेदार के बैंक खाते का नाम.....
- (ii) बैंक का नाम.....
- (iii) शाखा.....
- (iv) आई एफ एस सी कोड.....

(बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति अथवा कैंसिल चेक की छाया प्रति संलग्न करें)

## घोषणा पत्र

- (1) मैं/ हम..... पिता/ पति का नाम.....  
पोस्ट..... थाना..... जिला.....  
एतद द्वारा थाना..... जिला..... के अंतर्गत  
थाना कांड संख्या...../.....में मृतक के आश्रित के रूप में जिला परिवहन पदाधिकारी  
..... (जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिवक्ता/  
पदाधिकारी.....) को दावान्यायाधिकरण में दावा वाद दाखिल करने हेतु  
और इस बात की समुचित पैरवी करने के लिए प्राधिकृत करता/ करती हूँ।
- (2.) मैं/ हम घोषणा करता/ करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपर्युक्त सभी सूचनाएं सही हैं।
- (3) दावा न्यायाधिकरण इस मामले में जो भी मुआवजे की राशि का निर्धारण करेगी वह राशि बिहार वाहन दुर्घटना निधि के अंतर्गत संबंधित बैंक खाते में जमा की जाएगी और पूर्व में मुझे भुगतान की गई राशि से अधिक होने पर अंतर राशि मुझे उपर्युक्त बैंक खाते के माध्यम से भुगतान कर दिया जाएगा।  
मेरे द्वारा निम्नलिखित कागजातों की छाया प्रति इसके साथ संलग्न किया जाता है:-
1. आधार कार्ड /व्यक्तिगत पहचान पत्र की छाया प्रति (मृतक एवं आवेदक दावेदार दोनों का)
  2. आवासीय पता संबंधी कागजात की छाया प्रति (वोटर कार्ड /ड्राइविंग लाइसेंस/ पासपोर्ट/ बिजली बिल) (मृतक एवं आवेदक /दावेदार दोनों का)
  3. पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र/ आश्रित प्रमाण पत्र की छाया प्रति (पति-पत्नी के मामले में आवश्यक नहीं)
  4. बैंक पासबुक की छाया प्रति (आवेदक /दावेदार का)
  5. कैंसिल चेक की छाया प्रति (आवेदक /दावेदार का)
  6. पोस्टमार्टम रिपोर्ट की छाया प्रति।
  7. दर्ज प्राथमिकी की छाया प्रति।
  8. अन्य कोई सूचना यदि हो तो।

आवेदक /दावेदार का हस्ताक्षर

पूरा पता  
पिता/ पति का नाम.....  
पहचान पत्र संख्या.....  
मोबाइल नंबर.....  
ईमेल आईडी.....

(एक से अधिक दावेदार होने पर सभी का हस्ताक्षर एवं विवरण आवश्यक है)